

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, नवम्बर 28—दिसम्बर 4, 2004 शनिवार/अग्रहायण 7—अग्रहायण 13, 1926
No. 24] NEW DELHI, NOVEMBER 28—DECEMBER 4, 2004 SATURDAY/AGRAHAYANA 7—AGRAHAYANA 13, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का०नि० आ० 167.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वायुसेना ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (उपस्कर) भर्ती नियमों, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, भारतीय वायुसेना में ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (उपस्कर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायुसेना ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (उपस्कर) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :—

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्याप्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (उपस्कर)	01* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचिवीय	12000-375-16500 रु.	चयन
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रेन्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा			
(11)	(12)			
प्रोन्नति	प्रोन्नति : 10,000—15200 रु. के वेतनमान में ऐसा सिविलियन स्टाफ आफिसर (उपस्कर) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।			

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :

- | | |
|--|----------|
| 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव (वायु सेना), रक्षा मंत्रालय | —सदस्य |
| 3. सहायक मुख्य एयर स्टाफ कार्मिक (वायुसैनिक और सिविलियन) वायुसेना मुख्यालय | —सदस्य |

इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/ शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. वायु मु./23049/एस सी एस ओ (ई)/आर आर/पी सी-3/692/रक्षा(नि.)]

आर. बी. जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 7th October, 2004

S.R.O. 167.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Air Force Senior Civilian Staff Officer (Equipment) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Civilian Staff Officer (Equipment) in the Indian Air Force, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Air Force Senior Civilian Staff Officer (Equipment) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

• Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in Consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE					
Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Senior Civilian Staff Officer (Equipment)	*I (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 12000-375-16500	Selection	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8		9		10
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Not applicable
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment, by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made			
11		12			
Promotion		Promotion : Civilian Staff Officer (Equipment) in the pay scale of Rs. 10,000—15,200 with five years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.			
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
13		14			
Group 'A' Departmental Promotion Committee:— 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission 2. Joint Secretary (Air), Ministry of Defence 3. Assistant Chief of Air Staff Personnel (Airmen and Civilian), Air Headquarters				Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules. —Chairman —Member —Member	

[F. No. Air HQ/23049/SCSO(E)/RR/PC-3/692/D(Apptts)]

R.B. JOSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2004

का.नि. आ. 168.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वायुसेना, सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (उपस्कर) भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, भारतीय वायुसेना में सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (उपस्कर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायुसेना, सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (उपस्कर) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (उपस्कर)	66* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसन्धिवीय	6500-200-10500 रु.	चयन
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)	(12)
प्रोन्नति	प्रोन्नति : ऐसे ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक (जिनके अंतर्गत वे ज्येष्ठ भंडारी भी हैं जिन्हें पहले चयन श्रेणी प्रदान की गई थी और ज्येष्ठ भंडार अधीक्षकों के रूप में कार्य कर रहे हैं) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—	इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/ शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. सहायक वायुसेनाध्यक्ष, कार्मिक (वायुसैनिक और सिविलियन) —अध्यक्ष	
2. निदेशक (कार्मिक सिविलियन), वायुसेना मुख्यालय —सदस्य	
3. निदेशक/उप सचिव (वायु), रक्षा मंत्रालय —सदस्य	

[फा. सं. वायु सेना मुख. /23049/सी जी ओ (ई)/आर आर/पी सी-3/717/रक्षा(नि.)]
आर. बी. जोशी, अवर सचिव

New Delhi, the 9th November, 2004

S.R.O. 168.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Air Force Civilian Gazetted Officer (Equipment) Recruitment Rules, 1990 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Civilian Gazetted Officer (Equipment) in the Indian Air Force, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Air Force Civilian Gzatted Officer (Equipment) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay post	Whether selection or Non-selection	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Civilian Gazetted Officer (Equipment)	66 *(2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 6500-200-10,500	Selection	No
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		No	Not applicable
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made			
11		12			
Promotion		Promotion : Senior Store Superintendent (including Senior Store Superintendent who were granted selection grade earlier and now working as Senior Store Superintendent) with three years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.			

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
	13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee : (for considering promotion) consisting of :		Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules.
1. Assistant Chief of Air Staff Personnel (Airmen and Civilian)	—Chairman	
2. Director (Personnel Civilian), Air Headquarters	—Member	
3. Director/Deputy Secretary (Air), Ministry of Defence	—Member	

[F. No. Air HQ/23049/CGO(E)/RR/PC-3/717/D(Appts.)]

R.B. JOSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2004

का.नि.आ.169.—राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सैन्य अभियन्ता सेवा (औद्योगिक समूह "घ" पदों) भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किये जाने से लोप किया गया है, सैन्य अभियन्ता सेवा में समूह "घ" औद्योगिक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैन्य अभियन्ता सेवा [औद्योगिक समूह "घ" पद] भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए इससे लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे अन्य संबंधित बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा, और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करते हुए, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकती है।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

नोट :—मूल नियम भारत सरकार के राजपत्र, भाग-II, खंड 4 में अधिसूचना का. नि.आ. 5 दिनांक 10 जनवरी, 1991 में अधिसूचित किए गए थे।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	व्ययन अथवा अवययन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
मजदूर (अकुशल)	*31857 (2002 के लिए) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ब", अराजपत्रित, औद्योगिक अनुसंधानीय	2550-55- 2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	नहीं
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
7	8	9	10		
18 से 25 वर्ष	अनिवार्य :		लागू नहीं होता	दो वर्ष	
1. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	(1) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण (2) अच्छा शारीरिक गठन रखता है।				
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय अन्य श्रेणियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधि- सूचित रूप से शिथिल की जा सकती है। यह शिथिलता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयु-सीमा में लागू किसी अन्य शिथिलता के साथ संवयी रूप से उपलब्ध होंगी।					
3. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख उपखंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निहित की गई है।)					

4. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

100 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए)
में निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होता

1. कमांडर वर्क्स इंजीनियर या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी जो कार्यकारी अभियंता या समतुल्य पद से निम्न पंक्ति का नहीं होगा। —अध्यक्ष
2. कार्यकारी अभियंता/सहायक कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता या समतुल्य —सदस्य
3. समूह "क" या समूह "ख" अधिकारी जो विभाग से संबंधित नहीं है। —सदस्य

टिप्पण : उपर्युक्त में से एक अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6
2. *मेट (अर्धकुशल) इसमें विभिन्न व्यवसाय में निम्नलिखित पदों के मेट भी हैं— (क) मेट यान मैकेनिक (ख) मेट बिजली मिस्री (ग) मेट प्रशीतन मिस्री	*11643 (वर्ष 2002 के लिए) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय है। **सामूहिक संस्वीकृत संख्या में से विभिन्न व्यवसायों में मेट पदों की संख्या कितनी हो, यह प्रमुख अभियंता के विवेकाधीन होगा।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", औद्योगिक, अनुसन्धानीय	2650-65-3300 70-4000 रु.	अचयन	नहीं

1

- (घ) मेट बड़ई
(ङ) मेट राजमिस्त्री
(च) मेट रंगसाज
(छ) मेट फिटर
साधारण मशीन
(ज) मेट फिटर
(झ) मेट पाइप फिटर
(ञ) मेट पोसिशसज
(ट) मेट अन्य

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11	12		
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे मजदूर/चौकीदार/सफाई वाले जिन्होंने अपनी श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है और प्रमुख अभियंता द्वारा यथाविहित इस पद के लिए ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की है। आमेलन : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेनाओं की निम्न विरचनाओं में समान श्रेणी, समतुल्य या उच्च श्रेणी में कार्यरत हैं और कालम 8 में विहित शैक्षिक योग्यता रखते हैं।		

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) में निम्नलिखित होंगे :— - कमांडर वर्क्स इंजीनियर या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी जो कार्यकारी अभियंता या समतुल्य पद से निम्न पंक्ति का नहीं होगा। —अध्यक्ष - कार्यकारी अभियंता/सहायक कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता या समतुल्य। —सदस्य - समूह "क" या समूह "ख" अधिकारी जो विभाग से संबंधित नहीं है। —सदस्य टिप्पण : उपर्युक्त में से एक अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
3. चाल्वमैन (अर्द्धकुशल)	*3652 (2002 के लिए) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", अराजपत्रित, औद्योगिक अननुसचिवीय	2650-65-3300 70-4000 रु.	अचयन	नहीं

7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
11	12				
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।	द्वारा। ऐसा न हो सकने पर आमेलन द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे मजदूर/चौकीदार/सफाई वाले जिन्होंने अपनी श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है और प्रमुख अभियंता द्वारा इस पद के लिए यथाविहित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की है। आमेलन : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेनाओं की निम्न विरचनाओं में समान समतुल्य अथवा उच्च श्रेणी में कार्यरत हैं तथा कालम 8 में विहित शैक्षिक योग्यता रखते हैं।			
13	14				
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) में निम्नलिखित होंगे :—		लागू नहीं होता			
1. कमांडर वर्क्स इंजीनियर या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी जो कार्यकारी अभियंता या समतुल्य पद से निम्न व्यक्ति का नहीं होगा।		—अध्यक्ष			
2. कार्यकारी अभियंता/सहायक कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता या समतुल्य		—सदस्य			
3. समूह "क" या समूह "ख" अधिकारी जो विभाग से संबंधित नहीं है।		—सदस्य			
टिप्पण : उपर्युक्त में से एक अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।					
1	2	3	4	5	6
4. क्रेन मैन (अर्द्धकुशल)	*487 (2002 के लिए) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", अराजपत्रित, औद्योगिक अननुसन्धिवीय	2650-65-3300 70-4000 रु.	अचयन	नहीं
7	8		9	10	
लागू नहीं होता	कुर्सियों आदि की केनिंग करने का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए।		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
11	12				
97 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।	द्वारा/ऐसा नहीं होने पर आमेलन द्वारा।		प्रोन्नति : ऐसे मजदूर/चौकीदार/सफाई वाले जिन्होंने अपनी श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है और प्रमुख अभियंता द्वारा इस पद के लिए यथाविहित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की है।		
3 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों में से भर्ती द्वारा। इसमें से अंधे, बहरे तथा लंगड़े व्यक्तियों में से प्रत्येक का 1 प्रतिशत होगा।			आमेलन : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेनाओं की निम्न विरचनाओं में समान समतुल्य अथवा उच्च श्रेणी में कार्यरत हैं और कालम 8 में विहित शैक्षिक योग्यता रखते हैं।		

13

14

समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)

लागू नहीं होता

में निम्नलिखित होंगे :—

1. कमांडर वर्क्स इंजीनियर या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी जो कार्यकारी अभियंता या समतुल्य पद से निम्न पंक्ति का नहीं होगा। —अध्यक्ष
2. कार्यकारी अभियंता/सहायक कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता या समतुल्य। —सदस्य
3. समूह "क" या समूह "ख" अधिकारी जो विभाग से संबंधित नहीं है। —सदस्य

टिप्पण : उपर्युक्त में से एक अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6
5. हैमर मैन (अर्द्धकुशल)	*377 (2002 के लिए) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", अराजपत्रित, औद्योगिक अननुसचिवीय	2650-65-3300 70-4000 रु.	अचयन	नहीं
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
11	12				
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर आमेलन द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे मजदूर/चौकीदार/सफाई वाले जिन्होंने अपनी श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है और प्रमुख अभियंता द्वारा इस पद के लिए यथाविहित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की है। आमेलन : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेनाओं की निम्न विरचनाओं में समान समतुल्य अथवा उच्च श्रेणी में कार्यरत हैं तथा कालम 8 में विहित शैक्षिक योग्यता रखते हैं।				

13

14

समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)

लागू नहीं होता

में निम्नलिखित होंगे :—

1. कमांडर वर्क्स इंजीनियर या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी जो कार्यकारी अभियंता या समतुल्य पद से निम्न पंक्ति का नहीं होगा। —अध्यक्ष
2. कार्यकारी अभियंता/सहायक कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता या समतुल्य। —सदस्य
3. समूह "क" या समूह "ख" अधिकारी जो विभाग से संबंधित नहीं है। —सदस्य

13					
टिप्पण : उपर्युक्त में से एक अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।					
1	2	3	4	5	6
5. पैकर श्रेणी 2 (अर्द्ध-कुशल)	*27 (वर्ष 2002 के लिए) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, औद्योगिक अननुसचिवीय	2650-65-3300 70-4000 रु.	अचयन	नहीं
7	8		9	10	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
11		12			
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसा न हो सकने पर आमेलन द्वारा।		प्रोन्नति : ऐसे मजदूर/चौकीदार/सफाई वाले जिन्होंने अपनी श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है और प्रमुख अभियंता द्वारा इस पद के लिए यथाविहित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की है। आमेलन : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेनाओं की निम्न विरचनाओं में समान, समतुल्य अथवा उच्च श्रेणी में कार्यरत हैं तथा कालम 8 में विहित शैक्षिक योग्यता रखते हैं।		
13		14			
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) में निम्नलिखित होंगे :—				लागू नहीं होता	
1. कमांडर वर्क्स इंजीनियर या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी जो कार्यकारी अभियंता या समतुल्य पद से निम्न पंक्ति का नहीं होगा।		—अध्यक्ष			
2. कार्यकारी अभियंता/सहायक कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता या समतुल्य		—सदस्य			
3. समूह "क" या समूह "ख" अधिकारी जो विभाग से संबंधित नहीं है।		—सदस्य			
टिप्पण : उपर्युक्त में से एक अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।					

1	2	3	4	5	6
7. कंकरीट मिक्सर चालक (अर्द्ध कुशल)	*01 (वर्ष 2002 के लिए) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, औद्योगिक अनुसूचित वर्गीय	2650-65-3300 70-4000 रु.	अचयन	नहीं
7		8		9	10
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11					12
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर आमेलन द्वारा।					प्रोन्नति : ऐसे मजदूर/चौकीदार/सफाई वाले जिन्होंने अपनी श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है और प्रमुख अभियंता द्वारा इस पद के लिए यथाविहित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की है। आमेलन : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेनाओं की निम्न विरचनाओं में समान, समतुल्य अथवा उच्च श्रेणी में कार्यरत हैं तथा कालम 8 में विहित शैक्षिक योग्यता रखते हैं।
13					14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) में निम्नलिखित होंगे :—					लागू नहीं होता
1. कमांडर वर्क्स इंजीनियर या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी जो कार्यकारी अभियंता या समतुल्य पद से निम्न पंक्ति का नहीं होगा।		—अध्यक्ष			
2. कार्यकारी अभियंता/सहायक कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता या समतुल्य।		—सदस्य			
3. समूह "क" या समूह "ख" अधिकारी जो विभाग से संबंधित नहीं हैं।		—सदस्य			
टिप्पण : उपर्युक्त में से एक अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।					
1	2	3	4	5	6
8. बैलो व्याय (अर्द्ध कुशल)	*18 (वर्ष 2002 के लिए) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, औद्योगिक अलिपिक वर्गीय	2650-65-3300 70-4000 रु.	अचयन	नहीं
7		8		9	10
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11					12
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर आमेलन द्वारा।					प्रोन्नति : ऐसे मजदूर/चौकीदार/सफाई वाले जिन्होंने अपनी श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है और प्रमुख अभियंता द्वारा इस पद के लिए यथाविहित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की है।

		12
	आमेदन : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेनाओं की निम्न विरचनाओं में समान समतुल्य अथवा उच्च श्रेणी में कार्यरत हैं तथा कालम 8 में विहित शैक्षिक योग्यता रखते हैं।	
13		14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) में निम्नलिखित होंगे :—		लागू नहीं होता
1. कमांडर वर्क्स इंजीनियर या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी जो कार्यकारी अभियंता या समतुल्य पद से निम्न पंक्ति का नहीं होगा।	—अध्यक्ष	
2. कार्यकारी अभियंता/सहायक कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता या समतुल्य	—सदस्य	
3. समूह "क" या समूह "ख" अधिकारी जो विभाग से संबंधित नहीं है।	—सदस्य	
टिप्पण : उपर्युक्त में से एक अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।		

[संख्या बी 75012/सामा./औद्यो./आर आर/सी एस सी सी/196/रक्षा(नि.)]

आर. बी. जोशी, अवर सचिव

New Delhi, the 9th November, 2004

S.R.O. 169.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of Military Engineer Services (Industrial Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1990 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'D' Industrial posts in the Military Engineer Services, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Military Engineer Services (Industrial Group 'D' posts). Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts as specified in column 1 of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, Classification and Scales of Pay.—The number of said posts, their classification and the scales of the pay attached thereto, shall be as specified in column 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, Educational and other qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in Column 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Footnote : The principal rules were notified in Part II Section 4 of Gazette of India notification SRO 5 dt 10 Jan., 1991.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30, of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Mazdoor (Unskilled).	31857* (For year 2002) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'D' Non Gazetted, Industrial Non-Ministerial	Rs. 2590-55-2660-60-3200.	Not applicable	No
Age limit for direct Recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	
7	8	9	10		
18 to 25 years.	Essential	Not applicable	Two years		
1. Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Govt. from time to time.	(1) 8th Class pass.				
2. Relaxable for SCs/STs/OBCs and certain other categories as notified by the Central Govt. from time to time. This relaxation shall be available cumulatively with any other age relaxation for SCs/STs/OBCs.	(2) Should have a good physique.				
3. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,					

7

Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Laddakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District of Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).

4. In respect of posts the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall in each case shall be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/absorption & percent of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
100% by direct recruitment.	Not applicable	Departmental Promotion Committee (for confirmation) Consisting of : (1) Commander Works Engineer or his nominee not below the rank of Executive Engineer or equivalent —Chairman (2) Executive Engineer/Assistant Executive Engineer/Assistant Engineer or equivalent —Member (3) Group 'A' or 'B' officer not connected with the department —Member Note : Out of above one member shall be nominated from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.	Not applicable

1	2	3	4	5	6
2. *Mate (Semi-Skilled). This includes the following posts of Mates in various trades— (a) Mate Vehicle Mechanic (b) Mate Electrician (c) Mate Refrigeration Mechanic (d) Mate Carpenter (e) Mate Mason.	**11643 (For year 2002) **1. Subject to variation dependent on workload. **2. The number of posts in various trades of Mates out of the bulk sanctioned strength shall be at the discretion	General Central Service Group 'D' Industrial Non-Ministerial	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Non-Selection	No

1			
(f) Mate Painter.	of Engineer-in-		
(g) Mate FGM.	Chief.		
(h) Mate Fitter			
(j) Mate Pipe Fitter			
(k) Mate Upholster			
(l) Mate Others.			

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12	13	14
100% by promotion failing which by Absorption	Promotion Mazdoor/Chowkidar/ Safaiwala with four years of regular service in the grade and having passed the trade test for this post, as prescribed by Engineer-in-Chief. Absorption Persons working in similar, equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services and holding the educational qualification prescribed in Column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee (for confirmation) Consisting of : (1) Commander Works Engineer or his nominee not below the rank of Executive Engineer or equivalent —Chairman (2) Executive Engineer/Assistant Executive Engineer/Assistant Engineer or equivalent —Member (3) Group 'A' or 'B' officer not connected with the department —Member Note : Out of above one member shall be nominated from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.	Not applicable

1	2	3	4	5	6
3. Valveman (Semi-Skilled).	*3652 (For year 2002) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'D' Non-Gazetted, Industrial, Non-Ministerial	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Non-Selection	No

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12	13	14
100% by promotion failing which by absorption	Promotion : Mazdoor/Chowkidar/	Group 'D' Departmental Promotion Committee (for promotion) Consisting of :	Not applicable

	12	13	14		
	Safaiwala with four years of regular service in the grade and having passed the trade test for this post, as prescribed by Engineer-in-Chief. Absorption : Persons working in similar, equivalent or higher grade in the lower formations of Defence Services and holding the educational qualification prescribed in Column 8.	(1) Commander Works Engineer or his nominee not below the rank of Executive Engineer or equivalent —Chairman (2) Executive Engineer/Assistant Executive Engineer/Assistant Engineer or equivalent —Member (3) Group 'A' or 'B' officer not connected with the department —Member Note : Out of above one member shall be nominated from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.			
1	2	3	4	5	6
4. Caneman (Semi-Skilled).	*487 (For year 2002) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'D' Non-Gazetted, Industrial, Non-Ministerial	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Non-Selection	No
7	8	9	10		
Not applicable	Practical knowledge of caning chairs etc.	Not applicable	Not applicable		
11	12	13	14		
97% by promotion failing which by absorption 3% by direct recruitment from handicapped persons @1% each for Blind, Hearing impaired and legs impaired.	Promotion : Mazdoor/Chowkidar/ Safaiwala with four years of regular service in the grade and having passed the trade test for this post, as prescribed by Engineer-in-Chief. Absorption : Persons working in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of Defence Services and holding the educational qualification prescribed in Column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee (for promotion) Consisting of : (1) Commander Works Engineer or his nominee not below the rank of Executive Engineer or equivalent —Chairman (2) Executive Engineer/Assistant Executive Engineer/Assistant Engineer or equivalent —Member (3) Group 'A' or 'B' officer not connected with the department —Member Note : Out of above one member shall be nominated from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.	Not applicable		

1	2	3	4	5	6
5. Hammer man (Semi-Skilled).	*377 (For year 2002) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted, Industrial, Non-Ministerial	Rs. 2650-65- 3300-70-4000	Non-Selection	No
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
11	12	13	14		
100% by promotion failing which by absorption	Promotion : Mazdoor/Chowkidar/ Safaiwala with four years of regular service in the grade and having passed the trade test for this post, as pre- scribed by Engineer-in-Chief. Absorption : Persons working in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of Defence Services and holding the educational qualification prescribed in Column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee (for promotion) Consisting of : (1) Commander Works Engineer or his nominee not below the rank of Executive Engineer or equivalent —Chairman (2) Executive Engineer/Assistant Executive Engineer/Assistant Engineer or equivalent —Member (3) Group 'A' or 'B' Officer not connected with the department —Member Note : Out of above one member shall be nominated from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.	Not applicable		
1	2	3	4	5	6
6. Packer Gde II (Semi-Skilled).	*27 (For year 2002) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted, Industrial, Non-Ministerial	Rs. 2650-65- 3300-70-4000	Non-Selection	No
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
11	12	13	14		
100% by promotion failing which by absorption	Promotion : Mazdoor/Chowkidar/ Safaiwala with four years of	Group 'D' Departmental Promotion Committee (for promotion) Consisting of : (1) Commander Works Engineer or	Not applicable		

	12	13	14		
	regular service in the grade and having passed the trade test for this post, as prescribed by Engineer-in-Chief. Absorption : Persons working in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of Defence Services and holding the educational qualification prescribed in Column 8.	his nominee not below the rank of Executive Engineer or equivalent —Chairman (2) Executive Engineer/Assistant Executive Engineer/Assistant Engineer or equivalent —Member (3) Group 'A' or 'B' Officer not connected with the department —Member Note : Out of above one member shall be nominated from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.			
1	2	3	4	5	6
7. Driver Concrete Mixer (Semi-Skilled).	*01 (For year 2002) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted Industrial, Non-Ministerial	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Non-Selection	No
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Not applicable
11	12	13	14		
100% by promotion failing which by absorption	Promotion : Mazdoor/Chowkidar/ Safaiwala with four years of regular service in the grade and having passed the trade test for this post, as prescribed by Engineer-in-Chief. Absorption : Persons working in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of Defence Services and holding the educational qualification prescribed in Column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee (for promotion) Consisting of : (1) Commander Works Engineer or his nominee not below the rank of Executive Engineer or equivalent —Chairman (2) Executive Engineer/Assistant Executive Engineer/Assistant Engineer or equivalent —Member (3) Group 'A' or 'B' Officer not connected with the department —Member Note : Out of above one member shall be nominated from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.	Not applicable		

1	2	3	4	5	6
8. Bellow Boy (Semi-Skilled).	*18 (For year 2002) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted Industrial, Non-Ministerial	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Non-Selection	No
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
11	12	13	14		
100% by promotion failing which by absorption	Promotion : Mazdoor/Chowkidar/ Safaiwala with four years of regular service in the grade and having passed the trade test for this post, as pre- scribed by Engineer-in-Chief. Absorption : Persons working in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of Defence Services and holding the educational qualification prescribed in Column 8.	Group 'D' Departmental Promotion Committee (for promotion) Consisting of : (1) Commander Works Engineer or his nominee not below the rank of Executive Engineer or equivalent —Chairman (2) Executive Engineer/Assistant Executive Engineer/Assistant Engineer or equivalent —Member (3) Group 'A' or 'B' Officer not connected with the department —Member Note : Out of above one member shall be nominated from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.	Not applicable		

[No. B/75012/Gen./Ind./RR/CSCC/196/D(Apptts)]

R. B. JOSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2004

का.नि.आ. 170.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर कोर, रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यपालक इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर कोर, सहायक कार्यपालक इंजीनियर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक कार्यपालक इंजीनियर *कार्यभार के आधार	64 (चौंसठ) * 2004 समूह 'क' पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	8000-275-13500 रु.	चयन
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
नहीं	आयोग द्वारा समय-समय पर संचालित सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के लिए परीक्षा नियमों में जो विहित की गई हो	आयोग द्वारा समय-समय पर संचालित सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के लिए परीक्षा नियमों में जो विहित की गई हो।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : नहीं	दो वर्ष
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		
(11)		(12)		
तीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा बीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा		प्रोन्नति : (क)(i) 6500-10500 रु. के वेतनमान में ऐसा सहायक इंजीनियर जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा [जिसमें 7450-11500 रु. के वेतनमान में सहायक इंजीनियर (चयन श्रेणी) के रूप में की गई सेवा भी सम्मिलित है] की हो और 7450-11500 रु. के वेतनमान में ऐसा फोरमैन जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी की डिग्री या समतुल्य हो। (ii) 6500-10500 रु. के वेतनमान में ऐसा सहायक इंजीनियर जिसने सात वर्ष नियमित सेवा [जिसमें 7450-11500 रु. के वेतनमान में सहायक इंजीनियर (चयन श्रेणी) के रूप में की गई सेवा भी सम्मिलित है] की हो और 7450-11500 रु. के		

(11)

(12)

वेतनमान में ऐसा फोरमैन जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य हो।

(ख)(i) 6500-10500 रु. के वेतनमान में ऐसा मुख्य नक्शानवीस, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी की डिग्री या समतुल्य हो।

(ii) 6500-10500 रु. के वेतनमान में ऐसा मुख्य नक्शानवीस, जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी की डिग्री या समतुल्य हो।

टिप्पण 1 : (क) और (ख) से प्रोन्नति 4 : 1 के अनुपात में की जाएगी।

टिप्पण 2 : ऐसे पोषक श्रेणी अधिकारी जो इन पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को सहायक इंजीनियर [जिसमें सहायक इंजीनियर (चयन श्रेणी) के पद भी सम्मिलित हैं], फोरमैन और मुख्य नक्शानवीस का पद धारण किए हुए हैं, को ऊपर उपदर्शित शैक्षिक अर्हताओं से छूट प्राप्त होगी।

टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिक के लिए) —

सशस्त्र बल के लेफ्टिनेन्ट कर्नल (समय वेतनमान), मेजर या कैप्टन रैंक के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं और जिसके पास किसी बेस/फील्ड/स्टैटिक रिपेयर यूनिट और सशस्त्र बलों में यानों या बन्दूकों (गनों) या बतार और रडार उपस्कर या आर्टिकल उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत का कुल पांच वर्ष का अनुभव हो, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व ऐसे पात्र अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिए गए हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी (सिविल पदों के प्रति निर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)
जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति के लिए और
इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधन करने/

35326I/04—4

(13)	(14)
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से
2. संयुक्त सचिव (आर्डनेन्स), रक्षा मंत्रालय	—सदस्य परामर्श करना आवश्यक है।
3. अपर महानिदेशक, इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर (कार्मिक और प्रशासन), सेना मुख्यालय	—सदस्य

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. संयुक्त सचिव (आर्डनेन्स), रक्षा मंत्रालय	—अध्यक्ष
2. निदेशक, इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर (कार्मिक), सेना मुख्यालय	—सदस्य

[फा. सं. 89228/पी.सी. II ओ/ई एम. ई. सिविल-1/895/आर.आर./रक्षा (नि.)]

अनुला कुमार, निदेशक (सी.पी.)

New Delhi, the 23rd November, 2004

S.R.O. 170.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Executive Engineer in the Corps of Electronics and Mechanical Engineers in the Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, Assistant Executive Engineers (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, to the said post, age limit, educational qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, may exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regards.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Executive Engineer	64*(2004) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Services Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 8000-275-13500/-	Selection	No	As prescribed in the examination rules for the Combine Engineering Services Examination conducted by the Commission from time to time.
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and post to be filled by various methods
					(8)	(9)
As prescribed in the examination rules for combined Engineering Services examinations conducted by the Commission from time to time.			Age : No educational Qualifications : No		Two years	Thirty per cent by Promotion. Twenty per cent by deputation/re-employment. Fifty per cent by direct recruitment.
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made				If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
						(12)
Promotion :				Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)/consisting of :—		Consultation with Union Public Service Commission necessary for appointment to the post on each occasion and for amending/relaxing any provisions of these rules.
(a)(i) Assistant Engineer in the pay scale of Rs. 6500-10500 with five years regular service in the grade [including service rendered as Assistant Engineer (Selection Grade) in the pay scale of Rs. 7450-11500] and foreman in the pay scale of Rs. 7450-11500, with three years regular service in the grade possessing Degree in Engineering or equivalent from a recognised university or equivalent.				1. Chairman/Member of Union Public Service Commission—Chairman		
(ii) Assistant Engineer in the pay scale of Rs. 6500-10500 with seven years regular service (including service as Assistant Engineer [(Selection Grade) in the pay scale of Rs. 7450-11500] and Foreman in the pay scale of Rs. 7450-11500 with five years regular service in the grade possessing Diploma in Engineering from a recognised University or equivalent.				2. Joint Secretary (Ordinance) Ministry of Defence —Member		
				3. Additional Director General of Electronics and Mechanical Engineers (Personnel and Administration) Army Headquarters —Member		
				Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—		
				1. Joint Secretary (Ordinance) Ministry of Defence —Chairman		

(12)	(13)	(14)
(b) (i) Chief Draughtsman in the pay scale of Rs. 6500-10500 with five years regular service in the grade possessing degree in Engineering from a recognised university or equivalent. (ii) Chief Draughtsman in the pay scale of Rs. 6500-10500 with seven years regular service in the grade possessing diploma in Engineering from a recognised university or equivalent.	2. Director Electronics and Mechanical Engineers (Personnel) Army Headquarters —Member.	
Note 1 : Promotion from (a) and (b) will be in the ratio of 4 : 1.		
Note 2 : The feeder grade officers holding the posts of Assistant Engineers (including posts in Assistant Engineer (Selection Grade), Foreman and Chief Draughtsman on the date of notification of these revised rules are exempted from possessing the educational qualifications indicated above.		
Note 3 : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.		
Deputation/Re-employment (For Armed Forces personnel) :—		
Armed Forces personnel of the rank of Lieutenant Colonel (Time Scale), Major or Captain who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and having the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 8 and possessing a total of five years experience in any Base/Field/Static repair unit and maintenance and repair of vehicles or Guns or wireless and Radar equipment or optical instrument in Armed Forces shall also be considered. Such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts).		

[F. No. 89228/PC-II-O/EME Civ-I/895/RR/D (Appts.)]

ANULA KUMAR, Director (C.P.)

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2004

का. नि. आ. 171.—रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि पंजाब राज्य के जिला अमृतसर में स्थित वल्ला गोला बारूद गोदाम के निकट होने के कारण इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रतिबंध इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से लगाया जाना आवश्यक है।

2. उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रेखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त, जिला अमृतसर, पंजाब राज्य के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य में रक्षा संकर्म अर्थात् जिला अमृतसर में स्थित वल्ला गोलाबारूद गोदाम की बाहरी प्रकार से एक हजार गज की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि।

[सं. बी/50542/एडी वल्ला/एल डब्ल्यू(पश्चिम)]

सहेली घोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 11th November, 2004

S.R.O. 171.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose the restrictions specified in clause (b) of Section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule below, being land lying in the vicinity of Valla Ammunition Dump, District Amritsar in the State of Punjab, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions from the date of publication of this notification.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the Office of Deputy Commissioner, Amritsar in the State of Punjab.

SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within the distance of one thousand yards from the crest of the outer parapet of the works of defence, namely, Valla Ammunition Dump, District Amritsar in the State of Punjab.

[No. B/50542/AD Valla/LW (West)]

SAHELI GHOSH ROY, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2004

का. नि. आ. 172.—सेना की निम्नतम विरचनाओं में रसोइया/रसोइया विशेष श्रेणी 1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के बारे में तारीख 25 मई, 2004 के का.नि.आ. 89 की अनुसूची के स्तम्भ (4) में :—

3050-75-3950-4590 रु. के स्थान पर 3050-75-3950-80-4590 रु. पढ़ा जाए।

[सं. 15322/एम पी 4(सिव)(ए)/838/आर आर/रक्षा (नि.)]

आर.बी. जोशी, अवर सचिव